राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1513/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
देवेन्द्र मिश्रा 929, केशव लीला, बालूपुरा रोड, आदर्श नगर, Ajmer,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम चौमू हाउस Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 04/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री प्रवीण गिरधर, वरिष्ठ विधि अधिकारी, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 16-3-17 के द्वारा उनके पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 6-3-17 पर की गई कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 25-5-17 से याचिका के सम्बन्ध में तथा पत्र दिनांक 14-3-18 के द्वारा पूर्व प्रस्तुत पत्र आदि के सम्बन्ध में विनिश्चय/सूचना का प्रेषण कर दिया गया था। इसके अतिरिक्ति कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 16-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है। अपीलोत्तर के साथ अपीलार्थी को 38 पृष्ठीय सूचना संलग्न कर प्रेषित की गई है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना के सम्बन्ध में विनिश्चय/सूचना का प्रेषण कर दिया गया है।
8. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त